

Form-I

(for linear Projects)

Government of India

Office of the District Collection Mirzapur.

No. 1243/D.L.R.C./F.No-44/1998

Date 15.03.11

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) date 3rd August, 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposed, it is certified that 8.3581 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Welspul Energy UP Pvt. Ltd. (name of user agency) for water pipeline corridor & approach road (purpose for diversion of forest land) in Mirzapur district falls within jurisdiction of following Village (s).

Name of Gram Sabha	Name of Village	Forest Division	Tehsil	Forest land (in hectare)
Barkachha Khurd	Barkachha Khurd	Mirzapur	Sadar	0.0026
Barkachha Kalan	Barkachha Kalan	Mirzapur	Sadar	0.4829
Hadaura	Gortutawa	Vindham Fall	Marihan	0.4324
Danti	Danti	Marihan	Sadar	3.1043
Danti	Bela	Marihan	Sadar	1.0176
Danti	Dadari Gahira	Marihan	Sadar	1.6883
Darhiram	Dadari Khurd	Marihan	Sadar	1.5300
Total -				8.3581

It is further certified that :

- The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 8.3581 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s) Sub-Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure-II to annexure-III.
- The Diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl. : As above.

District : Social Welfare officer

मिर्जापुर जिला, मिर्जापुर

मिर्जापुर

Signature

(Full name of Official seal of the District Collector)

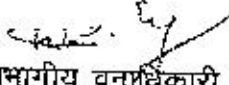
जिलास्तरीय समिति का कार्यवृत्त

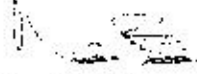
आज दिनांक 05.03.16 को वनअधिकार 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति (District Level Committee) की बैठक आयोजित की गयी है।

उक्त बैठक में वेलस्पन एनर्जी यू०पी० प्रा०लि० द्वारा ग्राम ददरीखुर्द, तहसील-सदर, जिला-मीरजापुर में प्रस्तावित 1320(660x2)मेगावाट की तापीय विद्युत परियोजना के लिए वाटर पाइप लाइन एवं राज्य मार्ग 5 से परियोजना स्थल तक सम्पर्क राडुक के निर्माण हेतु हस्तान्तरित की जाने वाली 8.3581हे० वन भूमि पर वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के अनुसार अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों के अधिकार तथा उनके दावों के निस्तारण के सम्बन्ध में समस्त ग्राम समितियों एवं उपखण्डस्तरीय समितियों की बैठक में लिये गये निर्णय पर विचार किया गया। निर्णय के अनुसार उक्त वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वननिवासियों का कब्जा नहीं है तथा उनके अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव लंबित नहीं हैं, और न ही किसी के द्वारा कोई आशंका सम्बन्धित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अतः अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वननिवासियों के उक्त भूमि पर अधिकार के सम्बन्ध में पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है, कि वेलस्पन एनर्जी यू०पी० प्रा०लि० को वाटर पाइप लाइन एवं राज्य मार्ग 5 से परियोजना स्थल तक सम्पर्क राडुक के निर्माण हेतु जनपद मीरजापुर में 8.3581हे० वन भूमि को हस्तान्तरित किये जाने में समिति को कोई आपत्ति नहीं है। समिति द्वारा उक्त वन भूमि हस्तान्तरण हेतु सहमति व्यक्त की जाती है।


जिला समाज कल्याण अधिकारी
मीरजापुर
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)


प्रभागीय वन अधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग
मीरजापुर
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)


जिलाधिकारी
मीरजापुर
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)

जिला पंचायत सदस्य
वसन्त कर्नाड

जिला पंचायत सदस्य
अमरनाथ

जिला पंचायत सदस्य
श्रीधर

उप जिलास्तरीय समिति का कार्यवृत्त

आज दिनांक 4.03.2016 को वनअधिकार 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (Sub Divisional Level Committee) की बैठक आयोजित की गयी है।

उक्त बैठक में वेलस्पन एनर्जी ग्रुप लि० द्वारा ग्राम ददरीखुर्द, तहसील सदर, जिला-मीरजापुर में प्रस्तावित 1320(660x2)मेगावाट की तापीय विद्युत परियोजना के लिए गंगानदी से परियोजना स्थल ग्राम ददरीखुर्द तक वाटर पाइप लाइन एवं अन्य मार्ग 5 से परियोजना स्थल तक सम्पर्क सड़क के निर्माण हेतु हरतान्तरित की जाने वाली 7.9257हे० वन भूमि पर वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के अनुसार अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों के अधिकार तथा उनके दावों के निस्तारण के सम्बन्ध में ग्राम समिति, बरकछा खुर्द, बरकछा कलों, दौली (दौली, बेला, ददरीनाहेरा) व ग्राम समिति दादरीखुर्द (ददरीखुर्द) की बैठक में लिए गये निर्णय पर विचार किया गया। निर्णय के अनुसार वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वनवासियों का कब्जा नहीं है तथा उनके अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव लंबित नहीं हैं, और न ही किसी के द्वारा कोई अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव मंजूर किया गया था। अतः अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत निवासियों की वन भूमि पर अधिकार के सम्बन्ध में पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है कि तहसील सदर के अन्तर्गत 7.9257 हेक्टेयर वन भूमि, वेलस्पन एनर्जी ग्रुप लि० की वाटर पाइप लाइन एवं सड़क के निर्माण हेतु हरतान्तरित किये जाने में समिति को कोई आपत्ति नहीं है। समिति द्वारा उक्त वन भूमि हरतान्तरण हेतु सहमति व्यक्त की जाती है।

सहायक वन अधिकारी (सी०क०)
(न० वि० वन सहायक)
वि० ख०-सीटी, मीरजापुर

क्षेत्रीय वन अधिकारी
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)

उप जिलाधिकारी
सदर, मीरजापुर
(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)

अनीता देवी
सदस्य क्षेत्र पंचायत
सीटी



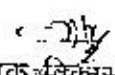
क्षेत्र वन अधिकारी - रा. ग. देवी

उप जिलास्तरीय समिति का कार्यवृत्त

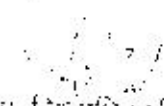
आज दिनांक 22.12.2006 को वनअधिकार 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (Sub Divisional Level Committee) की बैठक आयोजित की गयी है।

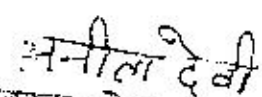
उक्त बैठक में वेलरमन एनर्जी यू0पी0 प्रॉजै0 द्वारा मांग दलदलबुंद, तहसील सदर, जिला-मीरजापुर में प्रस्तावित 1320(660X2)मेगावाट की तारपीन विद्युत परियोजना के लिए वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु हस्तान्तरित की जाने वाली 0.4324हे0 वन भूमि पर वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के अनुसार अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों के अधिकार तथा उनके दावों के निरस्तारण के सम्बन्ध में जाग समिति (गोडटुटवा) की बैठक में लिए गये निर्णय पर विचार किया गया। निर्णय के अनुसार उक्त वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वनवासियों का कब्जा नहीं है तथा उनके अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव लंबित नहीं है, और न ही किसी के द्वारा कोई अधिकार सम्बन्धित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अतः अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासियों का उक्त भूमि पर अधिकार के सम्बन्ध में पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है।

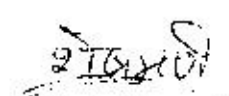
अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है, कि तहसील संचालन के अन्तर्गत 0.4324हे0 वन भूमि को वेलरमन एनर्जी यू0पी0 प्रॉजै0 को वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु हस्तान्तरित किये जाने में समिति को कोई आपत्ति नहीं है। समिति द्वारा उक्त वन भूमि हस्तान्तरण हेतु सहमति व्यक्त की जाती है।


सहायक वन अधिकारी (सहसं) (नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)


क्षेत्रीय वन अधिकारी (नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)


उप जिलाधिकारी संचालन, मीरजापुर (नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)


अनीला देवी सदस्य


सहायक वन अधिकारी (सहसं)

सेल नं-क्षेत्रीय - 22-12-2006